बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषयः– खरीफ विपणन मौसम 2014–15 में धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 300/– रूपये प्रति क्वींटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति के आलेाक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा भुगतान की गयी अवशेष बोनस की राशि 122.68/– करोड़ (एक सौ बाईस दशमलव अड़सठ करोड़) रूपये को वित्तीय वर्ष 2015–16 में भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में।

1. खरीफ विपणन मौसम 2014–15 के अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति राज्य में दिनांक 25.11.14 से 31.03.15 तक प्रभावी था। राज्य सरकार द्वारा धान की अधिप्राप्ति हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम, एवं प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स)/व्यापार मंडल को अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है तथा बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य के लिए नोडल अभिकरण नामित किया गया है। खरीफ विपणन मौसम 2014–15 में राज्य सरकार द्वारा 30 लाख मे0 टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध निगम द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2014–15 में कुल 2408932 मे0टन धान अधिप्राप्ति किया गया तथा उक्त के विरूद्ध 300/– रू0 प्रति क्वीं0 की दर से राज्य खाद्य निगम द्वारा कुल 722.68 करोड़ (सात सौ बाईस दशमलव अड़सठ करोड़) रू0 की बोनस मद में भुगतान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा खरीफ विणपन मौसम 2014–15 में निगम द्वारा भुगतान किये गये बोनस की राशि 722.68 करोड़ रू0 के विरूद्ध 600 करोड़ रू0 की राशि उपलब्ध करायी गयी है तथा 122.68 करोड़ की राशि भुगतान हेतु अवशेष है, जिसे वित्तीय वर्ष 2015–16 में भुगतान की आवश्यकता होगी।
2. भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2014–15 के अन्तर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण एवं ग्रेड ''ए'' के लिए क्रमशः 1360/– एवं 1400/– रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था।
3. खरीफ विपणन मौसम 2014–15 में धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 300/– रूपये प्रति क्वींटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं0 9984 दिनांक 31.12.2014 द्वारा प्राप्त है।
4. खरीफ विपणन मौसम 2014–15 में धान की अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में 200 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में 400 करोड़ कुल 600 करोड़ रू0 बोनस मद में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को भुगतान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में निगम को बोनस मद की अवशेष राशि 122.68 करोड़ रू0 का भुगतान करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

ज्ञापांक – प्र010 / ख0वि0अधि0–09 / 14– 1373 खाद्य, पटना / दिनांक–25.02.16
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक 23.02.2016 में मद संख्या–28** के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के कार्यान्वयन के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

25/2/2016
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / ख0वि0अधि0–09 / 14– 1373 खाद्य, पटना / दिनांक– 25.02.16
प्रतिलिपि – सचिव कोषांग / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, बजट एवं लेखा शाखा / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/2/2016
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / ख0वि0अधि0–09 / 14– 1373 खाद्य, पटना / दिनांक– 25.02.16
प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

25/2/2016
सरकार के सचिव ।

D:\Section 10\2014\Sec_04\KMS 2014-15 Bonus.doc